राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.5 (2)(27)कार्मिक/क–3/2004 जयपुर, दिनांक 04.08.2006

परिपत्र

कार्मिक विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों को राज्य स्तरीय सेवाओं के निम्नतर स्तर एवं प्रथम प्रविष्टि स्तर के अधिकारियों के संदर्भ में, जो अधिकारी उनके प्रत्यक्षतः नियंत्रण में कार्यरत हैं और जिनके ये विभागाध्यक्ष हैं, के संदर्भ में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही कर लघु शास्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां प्रदत्त हैं।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर सूखा एवं अकाल राहत के साथ–साथ मौसमी बीमारियों के संदर्भ में भी सम्भागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य प्राधिकारियों को भी राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के संदर्भ में उक्त नियम 17 के अन्तर्गत लघु शास्तियां अधिरोपित करने की शक्तियां प्रदत्त की जाती रही हैं।

उक्त प्राधिकारियों द्वारा पारित दण्डादेश के विरूद्ध अपील, नियमानुसार, सीसीए नियमों के नियम 23 के प्रावधान के तहत प्रस्तुत होती हैं, जिनका परीक्षण/निस्तारण कार्यविधि नियमों के अनुसार कार्मिक विभाग से ही सम्पादित होना अपेक्षित है।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि नियमों की उपरोक्त स्थिति के विपरीत इस प्रकार की अपीलों का परीक्षण/निस्तारण प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर कर रहे हैं जो नियमानुकूल नहीं है तथा उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में नियम 23(2) के द्वितीय परंतुक के प्रावधानों के आधार पर उनके द्वारा इस प्रकार की अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है जबकि यह प्रावधान केवल गबन के जॉच प्रकरणों में प्रत्यायोजित प्राधिकारी (delegated authority) के तहत विभागाध्यक्ष के रूप में आयुक्त विभागीय जॉच द्वारा पारित दण्डादेश तक ही सीमित है तथा उक्त परंतुक अन्य विभागाध्यक्षों के सन्दर्भ में लागू नहीं होता है। इसका गलत निर्वचन लिया जा रहा है। अतएव यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सीसीए नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सेवा के अधिकारियों की अपीलों का निस्तारण कार्मिक विभाग ही करने में सक्षम (competent authority) है।

अतः सभी संबंधित को व्यादिष्ट किया जाता है कि सन्दर्भित राज्य सेवा के अधिकारियों की उक्त प्रकार की अपीलों के प्रकरण प्रशासनिक विभाग निस्तारित नहीं करें तथा प्रशासनिक विभागों के समक्ष वर्तमान में जो भी ऐसे प्रकरण लम्बित हैं, उन्हें तत्काल ही कार्मिक विभाग को हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही करें।

कृपया उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (सह जिला कलक्टर्स)
4. उप सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग
5. सहायक विधि परामर्शी/मुख्य विधि सहायक, कार्मिक (क–3/जांच)विभाग।
6. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।

उप विधि परामर्शी

Disposal of appeal under Rule 23 of CCA Rules in r/o State Service Officers